संख्या-99/2023/3922/001-— /26-3-2023

प्रेषक,

राज कुमार झा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2023

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पीपरखाड़-सोनभद्र में बालिका छात्रावास और आउटडोर साइट इम्प्रूवमेंट व अन्य कार्यों हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-93/2023/001-2015/26-3-2023 दिनांक 09.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पीपरखाड़-सोनभद्र में बालिका छात्रावास और आउटडोर साइट इम्प्रूवमेंट व अन्य कार्यों हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0-100 प्रतिशत/राज्यांश-0)-24-वृहद निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष रू0-285.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 09.11.2023 के सन्दर्भ में उप निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-365/ज0जा0वि0/2023-24 दिनांक 22.11.2023 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय संचालन की मूलभूत आवश्यकता की सामग्री के क्रय हेतु रू0-95,31,757.00 (रूपये पंचानबे लाख इकतीस हजार सात सौ सत्तावन मात्र) की धनराशि निदेशालय जनजाति विकास को तथा अवशेष धनराशि विद्यालय के बालिका छात्रावास और आउटडोर साइट इम्प्रूवमेट कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- उप निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22.11.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 09.11.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पीपरखाड़-सोनभद्र में बालिका छात्रावास और आउटडोर साइट इम्प्रूवमेंट कार्य हेतु रू0-285.00 लाख

की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में से विद्यालय संचालन की मूलभूत आवश्यकता की सामग्री के क्रय हेतु रू0-95,31,757.00 (रूपये पंचानबे लाख इकतीस हजार सात सौ सत्तावन मात्र) की धनराशि निदेशालय, जनजाति विकास को तथा बालिका छात्रावास और आउटडोर साइट इम्प्रूवमेंट कार्य हेतु धनराशि रू0-1,89,68,243.00 (रूपये एक करोड़ नवासी लाख अड़सठ हजार दो सौ तैंतालीस मात्र) कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को पूर्व निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-93/2023/001-2015/26-3-2023 दिनांक 09.11.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुरूप किया जायेगा।

भवदीय,

Digitally Signed by राज कुमार झा
Date: 05-12-2023 14:26:35
Reason: Approved

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।